

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विषय - 27/2020-21

आदेश
कार्य
टिप्पणी

3/11/2020

अभिलेख उपस्थिति। आम ईस्तेहार का तामिला प्राप्त हुआ। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम कजरी के कामेश्वर सिंह पिता स्व० नौरंग सिंह के नाम से धारा 87 के अन्तर्गत राजस्व पदाधिकारी, पलामू के राजस्व वाद संख्या 1707/2016 के द्वारा हॉल सर्वे खाता नं० 97 प्लॉट नं० 1288 रकबा 0.07 एकड़ भूमि प्राप्त है जो गत सर्वे खाता 46,177 प्लॉट 1113,1117 से बना है। वर्तमान में वादी कामेश्वर सिंह मृत है। गत सर्वे खतियान के अनुसार खाता 177 प्लॉट 1117 गै० मालिक है तथा प्लॉट इन्डेक्स के अनुसार किस्म दर्ज नहीं है। अतः दफा 87 के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का मॉग कामेश्वर सिंह के पुत्र प्रसिद्ध नारायण वो बृजबिहारी सिंह के नाम से हॉल सर्वे खाता नं० 82 प्लॉट नं० 1423 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का मॉग, मॉग पंजी - 2 में ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा उनके द्वारा की गयी है।

भूमि विवरणी:-

ग्राम एवं थाना नं०	गत सर्वे खाता	गत सर्वे प्लॉट	हॉल सर्वे खाता	हॉल सर्वे प्लॉट	रकबा
कजरी एवं 202	46 177	1113 1117	97	1288	0.07 एकड़
कुल रकबा -					0.07 एकड़

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं उनके अनुशंसा के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि हॉल सर्वे खाता नं० 82 प्लॉट नं० 1423 रकबा 0.06 एकड़ भूमि प्रसिद्ध नारायण वो बृजबिहारी सिंह के नाम से मॉग पंजी - 2 में ऑनलाईन जमाबंदी कायम करें।

लेखापति एवं सेशोधित,

अंचल अधिकारी,

पण्डवा।

अंचल अधिकारी,

पण्डवा।

13/11/2020